राष्ट्रीय अधिवक्ता परिषद

EMPOWERED BY: INDIAN CONSTITUION ARTICLE 19(1)(C)

Office: Prime Plaza, Indira Nagar Lucknow 226001

Administrative Office: 2nd Floor, Sunil Complex WK Road Meerut 250002

Website: www.nacbharat.com

Ref No. NAC/2025/0127 **Date: 18/07/2025**

सेवा में,

मान्यवर अधिवक्ता गण

विषयः– अधिवक्ताओं की विधिक गरिमा, संरक्षा, एवं अधिकार संरक्षण हेतु "राष्ट्रीय अधिवक्ता परिषद" की सदस्यता से संबंधित विधिसम्मत अधिसूचना।

जहाँ न्यायपालिका भारतीय गणराज्य की संवैधानिक आत्मा है, वहीं **"अधिवक्ता"** वर्ग उसका जीवंत नैतिक प्रतिबिंब है। भारतीय विधि व्यवस्था में अधिवक्ताओं की भूमिका केवल पक्षकार की वकालत तक सीमित न होकर, संविधान के संरक्षक, विधिक नीति के सलाहकार, और लोकन्याय के संवाहक के रूप में मान्य एवं स्वीकार्य है।

यह परिषद अधिवक्ताओं के विधिक, सामाजिक, व्यावसायिक, तथा संवैधानिक हितों की सुरक्षा एवं संवर्धन हेतु एक समर्पित मंच के रूप में कार्य कर रही है। अधिवक्ता समुदाय के लिए परिषद की सदस्यता ग्रहण करना न केवल एक सम्मान है, अपितु विधिक व्यवस्था में राष्ट्रहितकारी भूमिका निभाने का भी अवसर है। इस प्रकार **"राष्ट्रीय अधिवक्ता परिषद"** द्वारा यह विधिवत अधिसूचित किया जाता है कि अधिवक्ताओं के अधिकारों, गरिमा, एवं संरक्षा हेतु एक संगठित, संवैधानिक एवं सशक्त मंच के रूप में परिषद की सदस्यता ग्रहण करना प्रत्येक विधिज्ञ के लिए न केवल समीचीन है, अपितु समय की माँग भी है।

राष्ट्रीय अधिवक्ता परिषद में सदस्यता प्राप्त करने के मुख्य कारणः-

1. **न्यायिक सशक्तिकरण एवं अधिवक्ता हित संरक्षण**

   परिषद अधिवक्ताओं के विधिक अधिकारों, प्रतिष्ठा एवं सुरक्षा की रक्षा हेतु निरंतर कार्य करती है, जिससे सदस्यों को एक सशक्त मंच प्राप्त होता है।

2. **विधिक सुधारों में सक्रिय सहभागिता**

   अधिवक्ताओं की समस्याओं, सुझावों एवं विधिक सुधार प्रस्तावों को नीति-निर्माताओं तक पहुंचाने हेतु परिषद एक संगठित माध्यम प्रदान करती है।

3. **पेशेवर विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम**

   सदस्य अधिवक्ताओं को विधिक शोध, न्यायालयीन प्रक्रिया, डिजिटल न्याय प्रणाली, और अधिनियमों की व्याख्या हेतु नियमित सेमिनार, वेबिनार, एवं कार्यशालाओं में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है।

4. **राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और मान्यता**

   सदस्यता से अधिवक्ताओं को एक राष्ट्रीय मंच से जुड़ने का गौरव प्राप्त होता है, जिससे उनकी पेशेवर पहचान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है।

5. **विधिक सहायता एवं परामर्श नेटवर्क**

   परिषद एक अखिल भारतीय अधिवक्ता नेटवर्क के माध्यम से कानूनी सहायता, परामर्श, और सहयोग की सुविधा प्रदान करती है।

6. **न्यायिक अन्याय के विरुद्ध सामूहिक शक्ति**

   किसी अधिवक्ता के साथ अन्याय, उत्पीड़न अथवा प्रशासनिक दमन की स्थिति में परिषद सामूहिक रूप से वैधानिक एवं न्यायिक लड़ाई लड़ने हेतु कृतसंकल्प है।

7. **नैतिकता एवं आचार संहिता का संरक्षण**

   परिषद अधिवक्ता समुदाय में आचार-संहिता, नैतिक मूल्यों एवं न्यायिक गरिमा को बनाए रखने हेतु मार्गदर्शन एवं निगरानी करती है।

8. **विधि विद्यार्थियों एवं नव–प्रवेशी अधिवक्ताओं के लिए मार्गदर्शन**

   परिषद नवोदित अधिवक्ताओं को प्रोफेशनल गाइडेंस, इंटर्नशिप और अधिवक्ता पंजीयन से जुड़ी जानकारी प्रदान करती है।

9. **सामाजिक एवं राष्ट्रीय हित में अधिवक्ता भूमिका को सशक्त करना**

   परिषद अधिवक्ताओं को सामाजिक न्याय, मानवाधिकार, संविधान संरक्षण एवं राष्ट्रीय विकास से जोड़ने हेतु प्रेरित करती है।

10. **विशेषाधिकार, पहचान–पत्र एवं मान्यता प्रमाणपत्र**

सदस्य अधिवक्ताओं को परिषद की ओर से विशेषाधिकार प्राप्त सदस्यता कार्ड, पहचान-पत्र एवं सम्मान पत्र प्रदान किया जाता है जो विभिन्न मंचों पर उनकी पहचान को स्थापित करता है।

11. एकीकृत अधिवक्ता आवाज

विखंडित अधिवक्ताओं की अपेक्षा, परिषद सभी अधिवक्ताओं को एक मंच पर संगठित कर एक सशक्त और प्रभावशाली आवाज प्रदान करती है, जो नीतिगत, प्रशासनिक और विधायी स्तर पर प्रभावी रूप से प्रस्तुत की जाती है।

12. सामूहिक जनहित याचिकाओं में सहभागिता

परिषद समय-समय पर संविधान के अनुच्छेद ३२ एवं २२६ के अंतर्गत जनहित याचिकाएं दाखिल करती है, जिनमें सदस्य अधिवक्ता विधिक रणनीति में सहभागी बन सकते हैं।

13. विधानसभाओं, संसद, न्यायालयों और आयोगों के समक्ष प्रतिनिधित्व

परिषद अधिवक्ताओं के हितों की पैरवी हेतु विधायी, न्यायिक एवं प्रशासनिक मंचों पर वैधानिक रूप से प्रस्तुतियाँ देती है।

14. मानवाधिकार संरक्षण एवं विधिक चेतना अभियान

परिषद द्वारा ग्रामीण, पिछड़े एवं अल्पसंख्यक वर्गों में विधिक साक्षरता, मानवाधिकार जागरूकता एवं संवैधानिक मूल्यों के प्रचार हेतु सदस्य अधिवक्ताओं को अवसर प्रदान किए जाते हैं।

15. संविधान की गरिमा की रक्षा में अग्रणी भूमिका

संविधान के अनुच्छेदों, विशेष रूप से मौलिक अधिकारों, विधिक प्रक्रिया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संघीय ढांचे की रक्षा में परिषद एक जागरूक प्रहरी की भूमिका निभाती है।

16. आपदा एवं आपातकालीन विधिक सहायता बल

प्राकृतिक आपदा, दंगे, प्रशासनिक उत्पीड़न या मानवाधिकार उल्लंघन की स्थिति में परिषद एक त्वरित विधिक सहायता बल का गठन करती है, जिसमें सदस्य अधिवक्ताओं को मानवीय सेवा का अवसर मिलता है।

17. प्रतिष्ठित पुरस्कार एवं सम्मान योजनाएं

उत्कृष्ट विधिक कार्य, सामाजिक योगदान या मानवाधिकार संरक्षण हेतु सदस्य अधिवक्ताओं को परिषद की ओर से समय-समय पर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाता है।

18. न्यायालयों में भेदभाव के विरुद्ध आवाज

जिला, उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ताओं के साथ होने वाले किसी भी प्रकार के भेदभाव, अनुचित व्यवहार या उत्पीड़न के विरुद्ध परिषद कठोर प्रतिकार की नीति अपनाती है।

सदस्यता प्राप्त करने के प्रमुख कारणः-

1. न्यायिक सशक्तिकरण एवं अधिवक्ता हित संरक्षण।
2. विधिक सुधारों में सक्रिय सहभागिता।
3. पेशेवर विकास हेतु प्रशिक्षण, सेमिनार एवं कार्यशालाएं।
4. राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और विधिक प्रतिष्ठा।
5. देशव्यापी अधिवक्ता परामर्श नेटवर्क।
6. न्यायिक उत्पीड़न के विरुद्ध सामूहिक विधिक संघर्ष।
7. नैतिकता व अधिवक्ता आचार संहिता का परिपालन।
8. नवोदित अधिवक्ताओं हेतु मार्गदर्शन एवं सहायता।
9. संविधान, मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय हेतु प्रतिबद्धता।
10. सदस्य पहचान–पत्र, प्रमाण–पत्र एवं विशिष्ट मान्यता।
11. एकीकृत अधिवक्ता आवाज हेतु संघीय मंच।
12. जनहित याचिकाओं एवं विधिक अभियानों में भागीदारी।
13. विधानसभा, संसद एवं न्यायिक आयोगों के समक्ष प्रतिनिधित्व।
14. विधिक साक्षरता एवं मानवाधिकार जागरूकता अभियानों में योगदान।
15. अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की मांग हेतु वैधानिक पहल।
16. आपदा व आपातकाल में विधिक सेवा टास्क फोर्स में सहभागिता।
17. बीमा, स्वास्थ्य एवं पेंशन योजनाओं हेतु प्रयासरत मंच।
18. उत्कृष्ट अधिवक्ताओं हेतु राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार/सम्मान।
19. न्यायपालिका में अधिवक्ता अधिकारों की दृढ़ रक्षा।

उपसंहारः:–

इस अधिसूचना के माध्यम से यह स्पष्ट किया जाता है कि **राष्ट्रीय अधिवक्ता परिषद**, **भारतीय विधिज्ञ** समुदाय के लिए न केवल एक संगठनात्मक ढांचा है, अपितु वह संवैधानिक चेतना, विधिक उत्तरदायित्व एवं न्यायिक गरिमा की साकार अभिव्यक्ति है। जहाँ एक ओर परिषद अधिवक्ताओं की व्यावसायिक प्रतिष्ठा एवं विधिक अधिकारों की रक्षा हेतु प्रतिबद्ध है, वहीं दूसरी ओर यह संस्था समग्र राष्ट्रहित में विधि के शासन Rule of Law, न्याय तक समान पहुंच Access to Justice और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सतत प्रयत्नशील है।

अतः यह अपेक्षित है कि अधिवक्ता समाज इस पवित्र उत्तरदायित्व को आत्मसात करते हुए, राष्ट्र के संविधान, लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था की रक्षा हेतु राष्ट्रीय अधिवक्ता परिषद से जुड़कर एक सक्रिय, संवेदनशील एवं संगठित विधिक आंदोलन का भाग बने। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर रेखांकित की गई अधिवक्ताओं की भूमिका—**"Officers of the Court and Guardians of Justice"**—को आत्मसात करते हुए, यह परिषद संकल्पबद्ध है कि अधिवक्ता समाज की प्रतिष्ठा को सुरक्षित, सशक्त एवं सम्मानित बनाए रखे। न्याय की राह में यह परिषद आपका विश्वसनीय, विधिसम्मत और संवैधानिक सहचर है।

"न्याय के साथ खड़ा अधिवक्ता, संविधान की आत्मा को जीवित रखता है।"

भवदीय

Adv Mridula Sharma

Adv Mridula Sharma
कार्यालय सचिव
(राष्ट्रीय कार्यकारिणी)
राष्ट्रीय अधिवक्ता परिषद
प्राइम प्लाजा, इन्दिरा नगर, लखनऊ
226001